



न्यायालय, समाहर्ता, अररिया

विविध वाद संख्या-09/2015-2016 (लाल कार्ड रद्द करने हेतु) 11

झड़ी लाल मंडल, पिता-रौशन मंडल
सा0-पेचैली, थाना-जोकीहाट (महलगाँव),
जिला-अररिया.....आवेदक

बनाम

रत्न हरिजन, पिता-स्व0 भाजु हरिजन
सा0-चौकता, थाना-जोकीहाट (महलगाँव), जिला-अररिया
जिला-अररिया.....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
08.04.2021	<p>आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित है। आवेदक दिनांक 23.11.2018 से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक को दिनांक 25.02.2021 को अंतिम मौका दिया जा चुका है। बावजूद आवेदक की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद में कोई रूची नहीं है।</p> <p>अतः वाद के गुण-दोष पर विचार किये बगैर इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">समाहर्ता, अररिया</p> <p align="right">  समाहर्ता, अररिया </p> <p>ज्ञापांक 2112/विधि, अररिया, दिनांक 17.9.2021</p> <p>प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, जोकीहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p align="right">  प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया </p>	